

कंशी लाल शंमोहन लाल बनाम
नारि कि डोलपुरा तह.
माण्डलगाह --- प्रार्थी

1. छोडु डो माना डोग कि डोलपुरा तह. माण्डलगाह
 2. रामलाल शंमोहन लाल --- " --- "
 3. शंभुदास शंमोहन लाल --- " --- "
 4. रामपाल शंमोहन लाल --- " --- "
 5. शंभुदास अलादीन पीता --- " --- "
- विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक---

18/5/2017

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री कंशी लाल शंमोहन लाल नारि कि डोलपुरा ने जरिये अभिभाषक श्री संदीप शर्मा एडवोकेट ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम डोलपुरा प0ह0 डोलपुरा तह0 माण्डलगाह मे आराजीन0 627/364 व 526/418, 533/363

किता 5 रकबा 08 बीघा 00 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071-74 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0क्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम डोलपुरा की आराजी न0 627/364, 526/418, 533/363 जित3

रकबा 8 बीघा 00 बिस्वा भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 400/- रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगाह को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

2
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगाह
C.A. No. / 12